कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 1098 भोपाल, दिनांक 08 फरवरी 2018

प्रति,

वनसंरक्षक एवं पदेन व.म.अ.
सामान्य वनमंडल राजगढ़

विषयः– राजगढ़ जिले में Supply for drinking water pipe line mohanpura dam to Rajgarh city हेतु 0.066 हे0 वनभूमि के प्रस्ताव की स्वीकृति जारी करने बावत्।

संदर्भः–आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./180 दिनांक 05/02/2018

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा राजगढ़ शहरी क्षेत्र की जल प्रदाय परियोजना के क्रियान्वयन के लिये मोहनपुरा डेम से राजगढ़ शहर तक एन.एच. – 52 के किनारे (राईट ऑफ वे), पीने की पाईप लाईन डालने हेतु वनमंडल राजगढ़ अन्तर्गत वनखण्ड राजगढ़ के **कक्ष क्रमांक पी एफ. 45 की कुल 0.066 हे0 वनभूमि,** मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद राजगढ़ को उपयोग पर देनें के लिए, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत राईट ऑफ वे के तहत वनमंडलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकार के तहत अनुमति हेतु प्रस्ताव, प्रेषित कर, प्रकरण का अनुमोदन करने का अनुरोध किया गया हैं।

प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कमियां/त्रुटियां पाई गई हैं:–

1. ऑन लाईन निर्धारित प्रारूप भाग–I अ.क्र. C(VI) Maps of forest land proposed to be diverted, Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station मानचित्र पर कक्ष सीमा अंकित नही की गई हैं। कृपया परीक्षण संशोधित मानचित्र अपलोड करावे एवं तदानुसार हार्ड प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

2. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चयन की कार्यवाही पूर्ण होने संबंधी निर्धारित प्रारूप पर कलेक्टर के प्रमाण पत्र की हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई हैं। परन्तु ऑन लाईन निर्धारित प्रारूप भाग–I अ.क्र. K(I)(a) Copy of documentry evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted: में उक्त प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हैं। कृपया अपलोड कराकर, इस कार्यालय को अवगत करावे।

3. प्रकरण में 20 हेक्टर राजस्व क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा हैं,। अतः उक्त राजस्व क्षेत्र के संबंध में परीक्षण कर ले कि उसमे कोई राजस्व वनक्षेत्र तो नहीं हैं। उचित होगा कि इस हेतु तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्राप्त करे ले।

अतः कृपया प्रकरण का सूक्ष्मता से परीक्षण कर, भविष्य में कोई विवाद न हो को दृष्टिगत रखते हुए **स्वीकृति देने के पूर्व उपरोक्तानुसार कमियों एवं और भी यदि कोई कमी हो तो उसकी भी पूर्ति /समाधान उपरांत, आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न कर लें।** तदोपरांत मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/5/18/2002/10–3 दिनांक 18/11/2004 एवं एफ–5/18/2002/10–3 दिनांक 14/12/2005 एवं एफ 5/18/2002/10–3 दिनांक 01/07/2009 तथा अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू प्रबंध) के पत्र क्रमांक/एफ–11/2015/2637 दिनांक 28/10/2015 एवं एफ–11/2017/10–11 / 2586 दिनांक 01/09/2017 में निहित प्रावधान/दिशा निर्देश के तहत प्रचलित विधि अनुरूप नियमानुसार अनुमति देन हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।

(विजय कुमार नीमा)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\tribal act. santioned pragati\Tribal act k tahat sahamati.doc

7-2-18

P.T.O